क्रमांक 45/1/93-5 जी0एस0 I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुड़गांवा मण्डल।
2. सभी उपायुक्त तथा सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा राज्य।
3. रजिस्ट्रार पंजाब एवम् हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ ।

दिनांक 16-8-1993।

विषय: सामान्य स्थानान्तरण नीति—राजपत्रित अधिकारियों का गृह जिले में स्थानान्तरण ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 45/7/8 जी.एस.I, दिनांक 7-4-89 की ओर दिलाऊं जिसके पैरा 5 में राजपत्रित अधिकारियों को उनके गृह जिले में लगाने रोक लगाई गई है। अम्बाला तथा यमुनानगर जिले में राजपत्रित अधिकारियों को लगाने का मामला सरकार विचाराधीन रहा और अब यह निर्णय लिया गया है कि इन जिलों के केवल पहाड़ी क्षेत्रों में राजपत्रित अधिकारियों लगाने के लिये उक्त परिपत्र के पैरा 5 में लगाये इस प्रतिबंध से छूट दे दी जाए ।

इन हिदायतों का कठोरता से पालन किया जाए ।

हस्ता/-
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन-
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरका

एक प्रति सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन भेजी जाती है।

हस्ता/-
अवर सचिव सामान्य प्रशासन
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरका

सेवा में

सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव,
हरियाणा सरकार ।

अशा: क्र. 45/1/93-5 जी.एस.-I दिनांक 16-8-199